महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – त्रेपनवां संस्करण (माह मार्च, 2020)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. मास्टर रिसोर्स परसन (एमआरपी) ओरिएन्टेशन एवं असेसमेंट प्रोग्राम
3. संस्थान के प्रशिक्षणों में प्रतिभागियों को प्रदाय किये जाने वाले सर्टीफिकेट पर **QR Code (Quick Response Code)** का प्रारंभ
4. आजीविका मिशन के कृषि जिला प्रबंधकों ने सीखा वेल्यू चेन एवं बाजार रणनीतियों की बारीकियां
5. आपदा प्रबंधन
6. सामाजिक अंकेक्षण पारदर्शिता एवं जबाबदेही
7. सफलता की कहानी – मनरेगा अन्तर्गत कपिलधारा कूप से बदलती जिन्दगी
8. सफलता की कहानी – जब हो हौसला बुलंद
9. क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर में आयोजित ''मास्टर रिसोर्स परसन (एमआरपी) ओरिएन्टेशन एवं असेसमेंट प्रोग्राम''
10. **National Colloquium of State Secretaries of RD & PR and Heads of SIRDPRs**

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed by Jay Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का त्रेपनवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2020 का तीसरा मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में प्रदेश की प्रत्येक जनपद पंचायत में कम से कम 2 सर्टीफाईड मास्टर रिसोर्स परसन उपलब्ध कराने के लिए नवाचार के रूप में अभिनव प्रयास किया जा रहा है।

इस श्रंखला में संस्थान एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र–उज्जैन, ग्वालियर एवं इन्दौर में मास्टर रिसोर्स परसन (एमआरपी) सर्टीफिकेशन हेतु ''ओरिएन्टेशन एण्ड असेसमेंट'' प्रोग्राम आयोजित किये गये। **''मास्टर रिसोर्स परसन (एमआरपी) ओरिएन्टेशन एवं असेसमेंट प्रोग्राम'' ''संस्थान के प्रशिक्षणों में प्रतिभागियों को प्रदाय किये जाने वाले सर्टीफिकेट पर QR Code (Quick Response Code) का प्रारंभ''** एवं **''क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर में आयोजित मास्टर रिसोर्स परसन (एमआरपी) ओरिएन्टेशन एवं असेसमेंट प्रोग्राम''** शीर्षक के माध्यम दो समाचार आलेख प्रस्तुत किये गये है तथा संस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के सौजन्य से दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत ''संवहनीय ग्रामीण आजीविका के लिए मूल्य श्रंखला एवं विपणन रणनीतियां'' विषय पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, एनआईआरडीपीआर– ऑफ केम्पस प्रोग्राम के संबंध में आयोजित कार्यक्रम **''आजीविका मिशन के कृषि जिला प्रबंधकों ने सीखा वेल्यू चेन एवं बाजार रणनीतियों की बारीकियां''** समाचार आलेख के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

साथ ही **"National Colloquium of State Secretaries of RD & PR and Heads of SIRDPRs", ''आपदा प्रबंधन'', ''सामाजिक अंकेक्षण पारदर्शिता एवं जबाबदेही'', ''सफलता की कहानी – मनरेगा अन्तर्गत कपिलधारा कूप से बदलती जिन्दगी'', ''सफलता की कहानी – जब हो हौसला बुलंद''** आदि आलेखों को भी इस संस्करण में शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण भरोसा है कि 'पहल' का यह संस्करण रूचिकर एवं कई विषयों पर आपको नवीन जानकारियां प्रदान करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

''मास्टर रिसोर्स परसन (एमआरपी) ओरिएन्टेशन एवं अससेमेंट प्रोग्राम''

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, म.प्र. अधारताल, जबलपुर के संचालक श्री संजय कुमार सराफ की पहल एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद के महानिदेशक डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी (आई.ए.एस.) के मार्गदर्शन से प्रदेश की प्रत्येक जनपद पंचायत में कम से कम 2 सर्टीफाईड मास्टर रिसोर्स परसन उपलब्ध कराने के लिए नवाचार के रूप में अभिनव प्रयास किया जा रहा है।

इसी श्रंखला में संस्थान में एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र–उज्जैन, ग्वालियर एवं इन्दौर में दिनांक 04 से 07 एवं दिनांक 11 से 14 फरवरी 2020 की अवधि में मास्टर रिसोर्स परसन (एमआरपी) सर्टीफिकेशन हेतु ''ओरिएन्टेशन एण्ड असेसमेंट'' प्रोग्राम आयोजित किये गये। प्रोग्राम की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	प्रोग्राम स्थल	अवधि	उपस्थित प्रतिभागी	सत्र समन्वयक	ट्रेनिंग मैनेजर एनआईआरडीपीआर	असेसर्स एनआईआरडीपीआर
1	महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., अधारताल, जबलपुर	04–07 फरवरी 2020	62	श्री नीलेश कुमार राय	श्री मुनीश जैन	डॉ. ए. के. सिह, श्री शेख मुख्ताख अहमद
2	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र–उज्जैन	04–07 फरवरी 2020	51	श्री घनश्याम सिंह लोहिया	श्री डम्बारूधर गारोड़ा	श्री गौतम मुखर्जी, डॉ. सुखविन्दर सिह
3	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र–ग्वालियर	04–07 फरवरी 2020	48	श्री आर.के. मूदड़ा	श्री एस. मधुसूदन	श्रीमती स्मिता कुलकर्णी, डॉ. सत्यप्रिय राउत
4	महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., अधारताल, जबलपुर	11–14 फरवरी 2020 (प्रथम बैच)	39	श्री नीलेश कुमार राय	श्री एस. मधुसूदन	डॉ. शशिकांत पाण्डेय, डॉ. संजय कुमार राजपूत
5	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र–इन्दौर	11–14 फरवरी 2020	43	श्री चंद्रपाल सिंह चौहान	श्री डम्बारूधर गारोड़ा	डॉ. रामप्रसाद पोले, डॉ. सीमा फर्नान्डीज
6	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र–उज्जैन	11–14 फरवरी 2020	62	श्री घनश्याम सिंह लोहिया	श्री मुनीश जैन	श्री अरूण जिन्दल, श्रीमती जी. सत्यवानी
7	महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., अधारताल, जबलपुर	11–14 फरवरी 2020 (द्वितीय बैच)	39	श्री नीलेश कुमार राय	श्री एस. मधुसूदन	डॉ. ए. के. सिह, डॉ. सत्यप्रिय राउत
	योग		**344**			

उपरोक्तानुसार माह फरवरी 2020 की अवधि में सात बैच में 344 प्रतिभागी सर्टीफिकेशन की प्रक्रिया में शामिल हुये। सभी प्रतिभागी प्रारंभिक तैयारियों हेतु एक दिवस पूर्व को प्रातः प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित हो गये थे। प्रथम दिवस में उपस्थित प्रतिभागियों को इस सर्टीफिकेशन प्रोग्राम के संबंध में जानकारी दी गई। संबंधित जिलों के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रतिभागियों को समझाईश दी गई। परिचय एवं पंजीयन के बाद सभी प्रतिभागियों को किटबैग, अध्ययन सामग्री प्रदान की गई।

प्रोग्राम के प्रथम दिवस में सत्रारम्भ के अवसर पर प्रतिभागियों का परिचय हुआ। इसके बाद प्रोग्राम की आवश्यकता, गतिविधियां, रूपरेखा पर चर्चा की गई। ट्रेनिंग मैनेजर, एनआईआरडीपीआर हैदराबाद द्वारा प्रतिभागियों को सर्टीफिकेशन प्रक्रिया के संबंध में बताया गया। चर्चा में बताया गया कि प्रोग्राम के ओरिएन्टेशन के लिए प्रतिभागियों को पंचायतराज एवं ग्रामीण विकास के प्रमुख विषयों की जानकारी दी जावेगी। इसके बाद प्रतिभागियों का असेसमेंट किया जावेगा। अससेमेंट के मापदण्डों पर चर्चा करते हुये बताया गया कि, प्रतिभागी के अनुभव पर 20 अंक, विषय की जानकारी लिखित परीक्षा पर 20 अंक, प्रशिक्षण देने की योजना बनाना 20 अंक, प्रशिक्षण देना 20 अंक, प्रशिक्षण सत्र का प्रबंधन 20 अंक कुल 100 अंक निधारित किये गये हैं।

असेसमेंट की प्रक्रिया को समझाते हुये बताया गया कि, एनआईआरडीपीआर के प्रशिक्षण मैनेजर, नेशनल लेविल मास्टर असेसर्स द्वारा असेसमेंट की प्रक्रिया सम्पन्न की जाती है। असेसमेंट पूर्ण हो जाने के बाद प्रतिभागियों का ग्रेडेशन किया जाता है। 65 से 100 तक के लिए ''ए'' ग्रेड, 55 से 65 तक के लिए ''बी'' ग्रेड दिया जाता है। ''ए' एवं ''बी'' ग्रेड में आये प्रतिभागियों को एनआईआरडीपीआर हैदराबाद द्वारा सर्टीफिकेट प्रदान किया जाता है।

इसके बाद पंचायतराज व्यवस्था, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा विषय पर चर्चा की गई। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों एवं म.प्र. पंचा.रा. एवं ग्रा.स्व.अधि.1993 – धाराएं एवं नियमों की जानकारी दी गई। चर्चा में संविधान संशोधन की विशेषताएं, पंचायतों का गठन, कर लगाने की शक्ति, निर्वाचन प्रक्रिया, आरक्षण प्रक्रिया, अंकेक्षण प्रक्रिया, पंचायत सेक्टर में आने वाले विषय, ग्राम सभा की शक्तियों के प्रावधानों को समझाया गया। मध्यप्रदेश में पंचायतराज व्यवस्था में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद व जिला पंचायत से संबंधित प्रमुख प्रावधानों को बताया गया।

ग्राम पंचायत से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधानों के साथ–साथ ग्राम पंचायत का गठन, कार्य एवं शक्तियां की जानकारी बताई गई। ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठक प्रक्रिया की जानकारी देते हुये बैठक का एजेण्डा, कोरम, निर्णय के बारे में बताया गया। ग्राम पंचायत की तीनों स्थाई समितियों का गठन, इनके अन्तर्गत आने वाले विषय, स्थाई समितियों की बैठक प्रक्रिया को समझाया। ग्राम पंचायत के सरपंच एवं उपसरपंच, सचिव के कार्य, दायित्वों की जानकारी दी गई।

ग्राम सभा का गठन, कार्य एवं शक्तियां, बैठक प्रक्रिया, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) (THE PROVISIONS OF THE PANCHAYATS (EXTENSION TO THE SHCEDULED AREAS) ACT, 1996 (PESA), अनुसूचित क्षेत्र विशेष उपबंध के प्रावधानों को समझाया गया।

ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाओं पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, डिजीटल इंडिया एवं डिजीटल पेमेन्ट्स, सोशल मीडिया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान, सबकी योजना सबका विकास अन्तर्गत ग्राम पंचायत में बनाई जाने वाली वार्षिक योजना तैयार करने की प्रक्रिया, जीपीडीपी के विभिन्न घटकों जिनमें वातावरण निर्माण, रिसोर्स एनवलप, कार्य, रिपोर्टिगं सिस्टम, ग्राम सभाओं का आयोजन, सहभागिता, पीआरए तकनीक को समझाया।

ई–गर्वनेंस – डिजीटल इंडिया, जीपीडीपी ई–संस्करण, पंचायत दर्पण, पंचायत इंटरप्राइस सूट (पीइएस), पंचायत फायनेंसियल मेनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस), ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के लिए एमआईएस के संबंध में जानकारी दी तथा संबंधित एप्लीकेशन का प्रदशर्न करके बताया। व्याख्यान विधि का प्रशिक्षण में उपयोग के संबंध में बताया गया। इसके बाद व्याख्यान अभ्यास के संबंध में बताया गया। प्रतिभागियों द्वारा दिये जाने वाले व्याख्यान के विषयों पर चर्चा की गई।

व्यवस्थित प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण में व्याख्यान, समूह चर्चा, रोल–प्ले, क्विज आदि विधियों की विशेषताएं एवं इनके उपयोग करते समय ध्यान में रखी जाने वाली बातें बताई गई। व्याख्यान देते समय संप्रेषण कौशल, देहबोली, नेत्र संपर्क, आवाज का उतार चढ़ाव, प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर देते समय ध्यान में रखी जाने वाली बातें, प्रशिक्षक के गुण रोचक उदाहरणों के साथ समझाया गया।

इसके बाद प्रतिभागियों के समूह बनाये गये। अलग–अलग क्लासरूम में प्रतिभागियों से व्याख्यान देने

का अभ्यास कराया गया। इसके बाद तीनों क्लास में री–इन–फोर्समेंट क्विज की तैयारी एवं क्विज अभ्यास कराया गया। प्रतिभागियों के ज्ञान को परखने के लिए एनआईआरडीपीआर हैदराबाद की उपस्थिति में प्रतिभागियों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई। तृतीय व चतुर्थ दिवस की अवधि में प्रतिभागियों के मूल्याकंन के लिए विषयगत क्षेत्र पर प्रतिभागियों से व्याख्यान का प्रस्तुतिकरण नेशनल मास्टर एसेसर्स, एनआईआरडी एण्ड पीआर हैदराबाद द्वारा कराया गया।

प्रतिभागियों के व्याख्यान प्रजेन्टेशन के बाद ट्रेनिंग मेनेजमेंट पोर्टल के विषय पर प्रशिक्षण मैनेजर, एनआईआरडीपीआर हैदराबाद द्वारा चर्चा की गई। प्रोग्राम की प्रभाविकता का ऑकलन करने हेतु संस्थान एवं एनआईआरडीपीआर का फीडबेक प्रपत्र प्रतिभागियों से भरवाया गया। प्रोग्राम में सहभागिता का प्रमाण–पत्र, भारमुक्ति आदेश, उपस्थित प्रतिभागियों की सूची एवं ग्रुप फोटो सभी प्रतिभागियों को दिये गये। इसके उपरांत प्रोग्राम का समापन किया गया।

डॉ. संजय कुमार राजपूत,
संकाय सदस्य

संस्थान के प्रशिक्षणों में प्रतिभागियों को प्रदाय किये जाने वाले सर्टीफिकेट पर QR Code (Quick Response Code) का प्रारंभ

MGSIRD&PR/MP/2020/0001

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–मध्यप्रदेश, अधारताल, जबलपुर

• प्रमाण–पत्र •

प्रमाणित किया जाता है कि,

सुश्री शीलता राजपूत

पदनाम – स्वच्छता ग्राही, जनपद पंचायत – पाटन, जिला – जबलपुर

ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के सौजन्य से आयोजित

''जनपद पंचायत स्तरीय मास्टर रिसोर्स परसन के ओरिएन्टेशन एवं सर्टीफिकेशन प्रोग्राम''

दिनांक 04–07 फरवरी 2020 में प्रतिभागिता की, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

दिनांक 07 फरवरी 2020

(नीलेश कुमार राय)
सत्र समन्वयक

(संजय कुमार सराफ)
संचालक

संस्थान के संचालक, श्री संजय कुमार सराफ की प्रेरणा से अब संस्थान में आयोजित प्रशिक्षणों में प्रतिभागियों को QR Code (Quick Response Code) से युक्त प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाना प्रारंभ कर दिया गया है। दिनांक 04 से 07 फरवरी 2020 की अवधि में संस्थान में आयोजित मास्टर रिसोर्स परसन के सर्टीफिकेशन हेतु ओरिएन्टेशन एवं असेसमेंट प्रोग्राम के प्रतिभागियों को सहभागिता का प्रमाण–पत्र QR Code युक्त प्रदान किया गया। सत्र समन्वयक श्री नीलेश कुमार राय ने बताया कि इन प्रमाण–पत्रों को प्राप्त करते हुये प्रतिभागी बहुत ही उत्साहित और प्रसन्न थे।

इन प्रमाण–पत्रों की विशेषताओं एवं महत्व के संबंध में संस्थान के कम्प्यूटर प्रोग्रामर, श्री जय कुमार श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि QR Code (Quick Response Code) युक्त प्रमाण–पत्र को प्रतिभागी अपने प्रमाण–पत्र पर अंकित QR Code को मोबाईल पर उपलब्ध QR Code Scanner App से Scan कर pdf File के रूप में Download कर सकते हैं। QR Code स्केन भी बहुत तेजी से होता है। प्रतिभागी के प्रमाण–पत्र में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो सर्टीफिकेट के सुधार हेतु प्रतिभागी के आवेदन करने पर वह घर बैठे–बैठे संशोधित सर्टीफिकेट QR Code स्केन कर Download कर सकता हैं। मूल प्रमाण–पत्र के गुम अथवा खराब होने पर प्रतिभागी प्रमाण–पत्र की छायाप्रति से QR Code Scan कर के pdf File के रूप में Download कर प्रिंट निकलवा सकते हैं।

संचालक श्री संजय कुमार सराफ द्वारा इस अभिनव प्रयास के लिए संस्थान के कम्प्यूटर प्रोग्रामर श्री जय कुमार श्रीवास्तव के कार्य की सराहना करते हुये क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों में इस प्रकार के QR Code युक्त प्रमाण–पत्रों का वितरण किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उल्लेखनीय है कि संस्थान द्वारा शून्य लागत अभिनव प्रयासों के रूप में ई–न्यूज लेटर ''पहल'' का मासिक प्रकाशन बेवसाईट के माध्यम से किया जाता है। संचालक महोदय के निर्देशन में माह–मार्च 2020 से प्रकाशित होने वाले संस्करणों को बिना बेवसाईट खोले मात्र QR Code के माध्यम से Download किया जा सकेगा।

डॉ. संजय कुमार राजपूत,
संकाय सदस्य

आजीविका मिशन के कृषि जिला प्रबंधकों ने सीखा वेल्यू चेन एवं बाजार रणनीतियों की बारीकियां

संस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के सौजन्य से दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत ''संवहनीय ग्रामीण आजीविका के लिए मूल्य श्रृंखला एवं विपणन रणनीतियां'' विषय पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, एनआईआरडीपीआर– ऑफ केम्पस प्रोग्राम दिनांक 27 से 31 जनवरी 2020 की अवधि में सम्पन्न हुआ। जिसमें मध्यप्रदेश दीनदयाल अन्त्योदय–राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के 36 जिलों के 41 जिला प्रबंधक कृषि, प्रोडेक्शन मैनेजर, कम्यूनिटी मोबालाइजर एवं युवा सलाहकार द्वारा सहभागिता की गई।

प्रशिक्षण में संवहनीय ग्रामीण आजीविका के संदर्भ में सामाजिक उद्यम की अवधारणा, क्षेत्र विशेष मूल्य श्रंखला खेती, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मूल्य श्रृंखला विश्लेषण, अवधारणा एवं महत्व पर डॉ. यू. हेमन्था कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेन्टर फॉर लाइवलीहुड, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद द्वारा बताया गया।

डॉ. जी.व्ही.के. लोहीदास, सेन्टर फॉर लाइवलीहुड, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद द्वारा संवहनीय ग्रामीण आजीविका संरचना, डीएवाई एनआरएलएम के संबंध में जानकारी दी। आजीविका संरचना को समझाते हुये इन्होंने बताया कि हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र की बाजार आवश्यकता पूर्ति के लिए हमें बाहर से आजीविका के साधन जुटाने के बजाए हमारे गांव में ही अवसर तलाशने होंगे। इसके लिए भारत के ग्राम्य जीवन के पुराने मॉडल को समझाया गया। गांव में लगने वाली सामग्री की पूर्ति गांव में करने के लाभों को बताया गया।

समन्वित कृषि प्रणाली, बहु स्तरीय खेती श्री जी. एस. तेकाम, क्षेत्रीय समन्वयक, म.प्र.डी.ए.वाय.– राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जबलपुर द्वारा चर्चा की गई। मूल्य श्रंखला विपणन–बांस के मॉडल श्री उदयप्रताप सिंह भदौरिया क्षेत्रीय समन्वयक, म.प्र. डी.ए.वाय.–राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जबलपुर द्वारा समझाया गया।

मूल्य श्रृंखला एवं विपणन अन्तर्गत मशरूम, शहतूत की खेती के संबंध में श्री रविन्द्र नाथ, इंटेग्रेटर, प्रदान संस्था, भोपाल ने बताया। लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए अवसर, मूल्य श्रृंखला एवं विपणन के जमीनी अनुभव पर श्री समीर कुमार, इंटेग्रेटर, प्रदान संस्था, भोपाल द्वारा चर्चा की गई। व्यवस्थित प्रशिक्षण, प्रशिक्षण कौशल, प्रशिक्षण विधियों का उपयोग के संबंध में संस्थान के संकाय सदस्य डॉ. संजय कुमार राजपूत द्वारा समझाया गया।

प्रशिक्षण में जीओजी–पॉट एक्सरसाइज के माध्यम से प्रतिभागियों में टीम में कार्य करने की सीख दी गई। घड़े के पानी बचाते हुये प्रतिभागियों के सभी समूहों ने पहली बार और दूसरी बार अभ्यास किया। दूसरी बार किये गये अभ्यास के परिणाम अच्छे निकले। इस अभ्यास के परिणामों का विश्लेषण डॉ. हेमन्था कुमार द्वारा किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट कार्यो का प्रदर्शन एवं क्षेत्रीय भ्रमण हेतु प्रतिभागियों को स्व–सहायता समूह द्वारा स्थापित की गई ''कान्हा प्रोड्यूसर कंपनी, बिछिया, जनपद पंचायत–बिछिया, जिला मण्डला ले

जाया गया। जहां प्रतिभागियों ने स्व–सहायता समूह के सदस्यों से चर्चा की एवं कंपनी की गतिविधियों का अवलोकन किया। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान नाबार्ड के सहयोग से संचालित ''रूरल मार्ट–आजीविका समूहों द्वारा उत्पाद बिक्री केन्द्र, मण्डला, जिला मण्डला की गतिविधियों का अवलोकन किया गया। इस भ्रमण की एक खास बात यह भी रही कि प्रातः काल चाय, नाश्ता, भोजन आदि का प्रबंध स्थानीय स्व–सहायता समूहों द्वारा किया गया था।

संस्थान के संचालक श्री संजय कुमार सराफ ने प्रतिभागियों से चर्चा करते हुये बताया कि बाजार प्रबंधन जहां एक ओर चुनौती है वहीं दूसरी वह हमें अवसर भी प्रदान करती है। प्रोड्यूसर से कंजूमर तक सामग्री पहुँचाने के बीच कच्चे माल की उपलब्धता, प्रोसेस, पैकेजिंग, भण्डारण के संबंध में अपने अनुभव बताये। आपने बताया कि इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। इसके लिए हमें समयबद्धता, वचनबद्धता, साहस, अध्ययन, अभ्यास करने की आवश्यकता है।

प्रशिक्षण के आखिरी दिवस में प्रतिभागियों के समूह के प्रस्तुतिकरण से मिली सीख पर चर्चा, भविष्य की रणनीति, कार्ययोजना, मार्गदर्शन श्री उदयप्रताप सिंह भदौरिया, क्षेत्रीय समन्वयक, म.प्र.डी.ए.वाय. – राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जबलपुर ने दिया।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

आपदा प्रबंधन

प्रस्तावना

आपदा (Disaster) ऐसी असामान्य घटना है, जो सीमित अवधि के लिए आती है, किंतु किसी भू–भाग या देश की अर्थव्यवस्था को छिन्न–भिन्न कर देती है। हम 'आपदा' को ऐसा संकट कह सकते हैं, जो किसी समुदाय की सहन–शक्ति से परे हो जाता है, जिससे वह समुदाय तत्काल संभल नहीं पाता या उसका सामना नहीं कर पाता। उसे अन्य लोगों की, संगठनों एवं सरकार की सहायता लेनी पड़ जाती है। कोई भी आपदा मनुष्य को झकझोर देने वाली घटना होती है। प्रायः ऐसी भयंकर घटना, जिससे मनुष्य किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है और प्रायः जान गॅवा बैठता है। चूॅकि कोई भी आपदा बताकर नहीं आती, इसलिए पहले से सावधान या सतर्क या सन्नद्ध रहने की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि जो राष्ट्र या देश जितना ही विकसित होगा, वह आपदाओं के प्रति उतना ही जागरुक होगा। प्रायः विकासशील देश, जिनमें निर्धन देशों की संख्या अधिक है, बारंबार आपदाओं के शिकार बनते आए हैं, अब भी बनते हैं और नहीं चेते तो आगे भी बनते रहेंगे। जो आपदा से ग्रस्त हो जाते हैं, पीड़ित होते हैं, उनको सहायता पहुॅचाना, उनकी रक्षा करना समाज या राष्ट्र का कर्तव्य है। प्रायः तमाम स्वयं सेवी दल या संगठन ऐसे अवसरों पर दिन–रात जुटकर पीड़ितों की सहायता करते है। यह सहायता आश्रय दिलाने, भोजन की व्यवस्था करने या औषधियॉ पहुॅचाने के रुप में की जाती है। अव्यवस्थित तंत्र के बल पर आपदाओं का सामना नहीं किया जा सकता। फलस्वरुप पिछले कई दशकों से अंतराष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के प्रयास किए जाते है। संप्रति आपदा प्रबंधन बहुआयामी व्यवस्था बन चुकी है, जो अधुनातन प्रौद्यौगिकी की सहायता लेकर कम–से कम समय में आपदाओं की पूर्व सूचना, चेतावनी, बचाव, राहत, पुनर्वास आदि के साधन जुटाती है। वर्तमान युग में आपदा प्रबंधन की महत्ता सर्वस्वीकृत है। आपदा प्रबंधन में जिन पीड़ितों के आत्मीय जन बिछुड़ गए हैं या मारे गए हैं, जिनके घर–बार, खेती तथा मवेशी नष्ट हो गए हैं, जिसके कारण उन्हें जो असहा मानसिक क्लेश होता है, उससे भी राहत दिलाने की कोशिश की जाती है।

अब आपदा प्रबंधन अंतः शास्त्रीय विषय बन चुका है और इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सरकारी तंत्र के अलावा वैयक्तिक तंत्र भी अपने–अपने ढंग से कार्य करते हैं, किंतु आपदा प्रबंधन में जो पीड़ित हैं, उनकी सहभागिता भी आवश्यक है। आपदा प्रबंधन में परंपरागत ज्ञान का सदुपयोग भी किया जाना चाहिए और आपदा के हट जाने के बाद भी आपदा प्रबंधन चालू रहना चाहिए। कोई भी आपदा, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानवकृत उससे जान–माल को भारी क्षति पहुॅचती है। आपदाओं से मनुष्यों, पशुओं, पेड–पौधों तथा इमारतों को तो क्षति पहुॅचती ही है, इनका मनौवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। जिस देश में प्राकृतिक आपदाएं आती है,

उसका आर्थिक विकास रुकता ही नहीं अपितु वह वर्षो पीछे खिसक जाता है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले ध्वंस की मरम्मत में वर्षो लग जाते हैं, जिसमें तमाम अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है।

जरा स्मरण कीजिए 26 जनवरी, 2001 को गुजरात में आए भीषण भूकंप का। गणतंत्र दिवस था, सारे राष्ट्र का ध्यान परेड देखने में लगा था। भूकंप की यह प्राकृतिक आपदा ऑख–मिचौली खेलकर चली गई, किंतु उसने हमारी सारी तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। हमें इस आपदा की भनक भी नहीं लग पाई थी। यह प्रश्न अब भी कुरेद रहा है। यह आवश्यक है कि प्राकृतिक आपदाओं को अपने ही देश के संदर्भ में न देखा जाए। हमारा मंत्र होना चाहिए– वसुधैव कुटुंबकम्। यदि अब भी परंपरागत चेतावनी – 'भागों और जान बचाओं' दी जाती है तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। इससे भगदड़ एवं अव्यवस्था फैलने के अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है? इसीलिए समुदाय/जनशिक्षा अति महत्वपूर्ण है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र की आपदाओं के लिए जन–सामान्य को प्रबुद्ध किया जा सके।

यह अत्यंत संतोष की बात है कि अब विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को आपदाओं के विषय में उपयोगी शिक्षा दी जा रही है। इस शिक्षा को विश्वविद्यालय स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता है।

आपदा से आशय –

हिन्दी का 'आपदा' शब्द अंग्रजी के Disaster का पर्याय है। फ्रेंच भाषा के Disaster से बना है, जिसका अर्थ 'बुरा तारा'। अंग्रेजी में Disaster के ही तुल्य अन्य शब्द हैं Hazard, Calamity, Risk Peril आदि। हिंदी में भी आपदा के तुल्य अन्य कई शब्द हैः यथा–आपत्ति (आफत), विपत्ति, विपदा, प्रकोप, महासंकट, संकट, खतरा आदि। किंतु चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी, इन विभिन्न शब्दों में कुछ–न–कुछ भिन्नता है, जो परिमाण या उग्रता को समाहित किए हुए हैं और वे दैव योग से जुडे हुए है। आपदा ऐसी घटना है, जो सामान्य स्थितियों को भंग करके इस हद तक कष्टों को उत्पन्न करती है कि प्रभावित समुदाय की सहन–शक्ति के परे हो जाती है, जिससे बाह्य सहायता की जरुरत पड़ती है।

आपदा प्रबंधन बिल 2005 में आपदा की परिभाषा निम्नवत् है– **''आपदा महाविनाश, कोई दुर्घटना, कोई गंभीर घटना, जिसमें तमाम जानें जाएं, मनुष्यों को यातनाएं सहनी पड़ें, उनकी संपत्ति को क्षति पहुॅचे, पर्यावरण बिगड़े और लोगों या समुदाय के सामान्य कार्य–कलापों में बाधा पड़े।''** आपदा प्राकृतिक कारणों से या मानवकृत कारणों या दुघर्टना या लापरवाही से उत्पन्न हो सकती है। इस बिल में Disaster के लिए Calamity शब्द भी आया है। किसी भी आपदा के चार लक्षण बताए गए हैं। ये हैः–

1. सामान्य जीवन का अस्त–व्यस्त हो जाना। यह आकस्मिक तथा इतना व्यापक होता है कि इसका प्रभाव दीर्घकाल तक अनुभव किया जाता है।
2. शारीरिक व मानसिक क्षतियॉ–जान–माल की क्षतियॉ तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव।
3. घरों, इमारतों, यातायात के साधनों का क्षतिग्रस्त होना, परिणामस्वरुप नाना प्रकार की कठिनाइयॉ उपस्थित होना।
4. एकाएक भोजन, वस्त्र, आश्रय, चिकित्सीय तथा सामाजिक सहायता की आवश्यकता आ पड़ना।

आपदाओं के प्रकार

आपदाएं दो प्रकार की हो सकती है – (1) प्राथमिक तथा (2) द्वितीयक

प्राथमिक आपदाएँ – प्राथमिक आपदाओं का संबंध जल, स्थल तथा वायु तीनों से होता है–

- वर्षा, बाढें, लहरें सुनामी आदि जल से संबद्ध आपदाएँ हैं।
- भूस्खलन, अपरदन, नदी मार्ग परिवर्तन, समुद्र द्वारा अतिक्रमण–ये स्थल संबंधी आपदाएं है।
- चक्रवात, झंझा, हरीकेन आदि वायु से संबंधित आपदाएँ हैं।

द्वितीयक आपदाएँ – प्राथमिक आपदाओं के फलस्वरुप जो क्षतियॉ होती हैं और जिनका कुप्रभाव दीर्घकाल तक अनुभव किया जाता है, वे द्वितीयक आपदाएँ है, यथा–

- स्वास्थ्य खतरे,
- खाद्य आपूर्ति में बाधा,
- आवासों का विनाश,
- आर्थिक क्षतियॉं,
- जलापूर्ति का विध्वंस,
- क्षरण एवं भूमि–विनाश तथा
- समुदाय का विनाश।

किंतु आपदाओं का एक अन्य वर्गीकरण भी है, जो अधिक प्रचलित है। इसमें आपदाओं को दो वर्गो में रखा जाता है–

1. प्राकृतिक आपदाएँ –

ये वे आपदाएं, जो किसी एक प्राकृतिक कारण या कारणों से उत्पन्न होती हैं और जिनसे बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य एवं पशु पक्षी मरते या घायल होते हैं या घर–बार से रहित हो जाते हैं, जिनसे पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुॅचती है। यथा भूकंप, बाढ़ चक्रवात तथा सुनामी। सूखा को भी प्राकृतिक आपदा मानते हैं, क्योंकि वर्षा के अभाव से यह उत्पन्न होती है। प्राकृतिक आपदाएँ, भौतिक पर्यावरण के वे तत्व हैं, जो मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं और ऐसी शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो मनुष्य के लिए बाहरी है।

2. मानवकृत आपदाएँ –

ये वे आपदाएँ हैं जो शहरीकरण, जनसंख्या–वृद्धि तथा औद्योगिकीकरण के फलस्वरुप होती है। ऐसी आपदाओं में विविध अग्निकांड, औद्यौगिक प्रदूषण, युद्ध तथा महामारियॉं मुख्य है।

कभी–कभी आपदाओं को एक सर्वथा भिन्न तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। इसमें जल तथा जलवायु, भूगर्भीय घटनाओं और जीवों से संबद्ध घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरणार्थ–

- जल तथा जलवायु संबंधी आपदाएँ, यथा–बाढ़, चक्रवात, सूखा।
- भूगर्भीय आपदाएँ– भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट।
- जैविक आपदाएँ– महामारियॉं, एड्स आदि।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट – 2000 में आपदाओं की सूची निम्नवत् दी गई है–

जल तथा जलवायु से संबद्ध –

- बाढ़ें तथा जल–निकासी
- चक्रवात
- टार्नेडो तथा हरीकेन
- ओले
- वृष्टि प्रस्फोट
- तड़ित्पात
- गरम हवाएँ तथा शीतल हवाएँ
- हिम अवधाव
- सागर अपरदन
- सूखा।

भूगर्भ से संबद्ध –

- भूकंप
- भूस्खलन
- बड़े बॉधों का टूटना
- खानों में अग्निकांड।

जैविक आपदाएँ –

- महामारियॉ
- पेस्ट आक्रमण
- पशु महामारियॉ
- भोज्य विषाक्तन।

उपयुक्त के अलावा रायायनिक, औद्योगिक तथा नाभिकीय आपदाएँ भी उल्लेखनीय हैं।

अर्थात् राष्ट्रीय विपत्तियों तथा संबद्ध पर्यावरणीय एवं प्रौद्यौगिकीय आपदाओं के प्रभावों को कम करने, प्रशासनिक निर्णयों तथा नीतियों को लागू करने एवं समाज तथा समुदाओं द्वारा आपदाओं का सामना करने की क्षमता का उपयोग करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को आपदा प्रबंधन कहते है।

इस तरह आपदा प्रबंधन आपदा चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं से संबद्ध गतिविधियों का पुंज है।

ये गतिविधियॉ दो प्रकार की होती है–

- आपदा–पूर्व गतिविधियॉ तथा
- आपदा–परवर्ती गतिविधियॉ।

आपदा–पूर्व प्रावस्था का संबंध खतरे में कमी (Risk Reduction) से है और आपदा–परवर्ती प्रावस्था का संबंध राहत (अल्पकालिक) तथा पूर्वस्थिति पुनःप्राप्ति (दीर्घकालिक) से है।

वैसे आपदा खतरा प्रबंधन में आपदा–पूर्व की सारी गतिविधियॉ निहित रहती है, जिनमें सन्नद्धता तथा न्यूनीकरण मुख्य है।

इन उपायों के उद्देश्य भी बताए गए है –

- खतरे का निवारण
- किसी आपदा का न्यूनीकरण
- क्षमता निर्माण
- आपदा के लिए सन्नद्धता
- आपदा के प्रति त्वरित अनुक्रिया
- आपदा के प्रभावों की गंभीरता का आकलन
- रिक्तीकरण बचाव तथा राहत
- पुनर्वास तथा पुननिर्माण।

आपदा खतरा प्रबंधन के दो विभाग हो सकते है–

- संरचनात्मक– इसका संबंध इमारतों, संस्थानों, स्कूलों अस्पतालों से है।
- गैर–संरचनात्मक– इसका संबंध जागरुकता तथा शिक्षा से है।

आपदा राहत प्रबंधन –

यह प्रबंधन आपदा घटित होने के तुरंत बाद से शुरु होता है और इसमें मुख्यतया राहत कार्य सम्मिलित होते हैं। यह प्रबंधन कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक चलता रह सकता है।

आपदा–सुभेद्यता (Vulneability) –

सुभेद्यता किसी समुदाय द्वारा आपदाओं के प्रभाव के प्रति संवेद्यता है। इसे दुर्बलता भी कहते है। सुभेद्यता की स्थिति उत्पन्न इसलिए होती है, क्योंकि लोगों में साक्षरता, रुचि एवं नेतृत्व की कमी पाई जाती है। सुभेद्यता को कम करने के लिए शिक्षा, संचार तथा जागरुकता, राजनीतिक या सामुदायिक परिवर्तन द्वारा सशक्तीकरण जैसे साधन अपनाएं जा सकते है।

यह देखा गया है कि जल तथा जलवायु से संबद्ध आपदाओं–बाढ़, चक्रवात, सूखा की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन तथा सुनामी जैसी – भूगर्भीय आपदाओं की संख्या अपेक्षतया कम है। कुछ जैविक आपदाओं की भी चर्चा की जाती है, जिनके अंतर्गत महामारी तथा युद्ध मुख्य है। इन्हें प्रायः मानवकृत आपदाएँ कहा जाता हैं। यह पाया गया है कि बाढ़, चक्रवात तथा सूखा चक्रिक घटनाएं हैं, जो प्रायः घटित होती रहती है, जबकि भूकंप का चक्र कम बार आता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा पैटर्न, ताप तथा चक्रवात के मार्ग बदलते हैं, जिससे अभूतपूर्व आपदाएँ उत्पन्न होती हैं और जान–माल तथा जीविका पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

डॉ. त्रिलोचन सिंह,
संकाय सदस्य

सामाजिक अंकेक्षण पारदर्शिता एवं जबाबदेही

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 30 जून 2011 के अनुसार समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा अन्तर्गत कार्यो का प्रत्येक 6 माह में न्यूनतम एक बार सामाजिक अंकेक्षण किया जाना आवश्यक हैं।

समाजिक अंकेक्षण की प्रांरभिक प्रक्रिया कलैण्डर का निर्माण विशेष ग्राम सभा अधिसूचना का प्रकाशन–नोडल अधिकारी (कलेक्टर प्रतिनिधि) एवं कार्यवाही लेखन का चिन्हाकंन एवं प्रशिक्षण–आई.ई.सी गतिविधियों का संचालन

दायित्व – जिला नोडल अधिकारी सामाजिक अंकेक्षण विशेष क्रियान्वयन एंजेसी प्रक्रिया में सहयोगी होगी हस्ताक्षेप नहीं करेगी। क्रियान्वयन एजेन्सी एवं लाईन विभाग के कार्यकर्ता विशेष ग्राम सभा में जबाब देने के लिये उपस्थित रहेगें।

ग्राम संपरीक्षा समिति जीएसएसः–

1. ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ग्राम पंचायत वार ग्राम संपरीक्षा समिति जीएसएस का गठन होगा।
2. समिति में ग्राम पंचायत के हर गांव से सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा
3. मनरेगा के अन्तर्गत पिछले वित्तीय वर्ष में एवं महिलाओं अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग समिति में प्रतिनिधित्व करेगा।

ग्राम सामाजिक संपरीक्षक वीएसए का चिन्हांकनः–

1. प्रत्येक ग्राम में सामाजिक एनीमेटर वीएसए का चिन्हाकन किया जायेगा।
2. प्रतिग्राम पंचायत में 3 सदस्यों का एक समूह होगा।
3. एक सदस्य तकनीकि पृष्ठ भूमि से मनरेगा के अन्तर्गत प्रशिक्षित बेयर फुट टेक्निशियन अथवा नेहरू युवा केन्द्र के वर्तमान या पूर्व के युवा समन्वयक होगें।
4. एक सदस्य लेखा पृष्ठ भूमि से स्वंय सहायता समूह अन्तर्गत बुक कीपर
5. एक सदस्य सामाजिक कार्य की पृष्ठ भूमि से पूर्व के वीएसए या महिला सीआरपी होगी।

वीएसए चिहांकन की प्रक्रियाः–

संचालक मध्य प्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार नान पायलट जिले में वीएसए का चिन्हाकन एक तकनीकि दूसरा लेखा एवं तीसरा सीआरपी हो।

सामाजिक अंकेक्षण हेतु दस्तावेज प्रदाय हेतुः–

जीएसएस एवं वीएसए को कार्यक्रम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत) मनरेगा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण विशेष ग्राम सभा के 15 दिवस पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा संधारित कार्यो से संबंधित समस्त दस्तावेज एवं मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण पोर्टल से डाउनलोड कर 1 से 4 प्रपत्र वीएसए समूह को उपलब्ध करायेगें। भौतिक, मौखिक एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया,जानकारी जीएसएस एवं वीएसए को उपलब्ध कराये जाते है।

सामाजिक अंकेक्षण कैसे किया जाता है :– ग्राम पंचायत के कार्यो का भौतिक दस्तावेजी एवं मौखिक सत्यापन वीएसए की मदद से जीएसएस द्वारा किया जाता है। भौतिक सत्यापन में निर्मित संरचना एवं कार्य स्थल का निरीक्षण किया जाना। दस्तावेज सत्यापन में एमआईएस में उपलब्ध जानकारी व वास्तविक दस्तावेज से मिलान जॉब कार्ड पंजी, मांग पंजी कार्य, आंबटन कार्य, नस्ती, बिल, व्हाउचर, भंडार पंजी, परिसम्पति पंजी 7 रजिस्टर आदि का आडिट करना।

मौखिक सत्यापन घर घर जाकर मस्टररोल, पास बुक, जाबकार्ड की जांच एवं जॉब कार्ड धारियों से बातचीत कर कार्य की मजदूरी दिये है कि नही इस बात की जांच करना मौखिक,दस्तावेज एवं भौतिक सत्यापन के बाद जीएसएस द्वारा कार्यवाही विवरण अर्थात जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन तैयार कर विशेष ग्राम सभा में रखने हेतु तैयार करना है।

विशेष ग्राम सभा का आयोजनः–

सत्यापन के बाद प्राप्त निष्कर्षो को सामाजिक अंकेक्षण विशेष ग्राम सभा के समक्ष अभिमत हेतु प्रस्तुत किया जाता है ग्राम सभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति को सौपी जाती है जो पंचायतराज संस्था या क्रियान्वयन एंजेसी का हिस्सा न हो। विशेष ग्राम सभा का कार्यावाही लेखन कलेक्टर महोदय द्वारा नामांकित कर्मचारी द्वारा किया जाता है विशेष ग्राम सभा में नोडल अधिकारी कलेक्टर महोदय द्वारा नामांकित शासकीय कर्मचारी द्वारा किया जाता है।

विशेष ग्राम सभा में सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिये जाते है जो निर्णय विशेष ग्राम सभा द्वारा हल नही होते हैं उन्हे विशेष जनसुनवाई का आयोजन कर पैनल द्वारा निर्णय लिये जाते है, जनसुनवाई सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया से प्राप्त ऐसे मुददे जिनका

निराकरण ग्राम सभा से नही हो पाया ऐसे मुददो के त्वरित निराकरण के लिये विकासखण्ड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में पैनल का गठन किया जाता है, पैनल में कार्यपालन यंत्री एवं सिविल सोसायटी संस्था के प्रतिनिधि भी शामिल रहते है पैनल के समक्ष मुद्दो को प्रस्तुत किया जाता है। जिस पर पैनल लिया जाता है। निश्चित ही सामाजिक अंकेक्षण ग्राम पंचायत के कार्यो की पारदर्शिता एवं जबाबदेही के लिये सार्थक पहल है।

सी.के. चौबे,
संकाय सदस्य

सफलता की कहानी – मनरेगा अन्तर्गत कपिलधारा कूप से बदलती जिन्दगी

इन्दौर जिला जो कि मालवा अंचल में स्थित है इसके अन्तर्गत राजा देवपाल की नगरी देपालपुर तहसील भारत के भौगोलिक मानचित्र की टोपोशीट क्रमांक 46 N/9 पर 22, 51, 54 अक्षांश एवं 75, 33 देशांश पर स्थित है जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत दौलताबाद जो कि देपालपुर से लगभग 20 कि.मी. की दुरी पर

स्थित है। ग्राम पंचायत में कुल 450 परिवार निवासरत है, जिसकी कुल जनसंख्या 2800 है। जिसमें कुल 120 बी.पी.एल. परिवार एवं 330 ए. पी.एल. परिवार तथा मनरेगा अन्तर्गत 226 जॉबकार्डधारी परिवार है। ग्राम पंचायत दौलताबाद द्वारा मनरेगा अन्तर्गत कई सराहनीय एवं महत्वपूर्ण कार्य किए जिसमें वित्तीय वर्ष 2013–14 में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में 4 हितग्राही श्री विनोद पिता भूरालाल, श्री दीपक पिता विष्णु, श्रीमती संतोषबाई पति मुकेश एवं श्री प्रवीण पिता प्रेमसिंह कपिलधारा कूप के प्रस्ताव लेकर स्वीकृत कराए गए। जिनकी प्रति कूप 3.00 लाख रूपये की तकनीकि स्वीकृति कराई गई ।

ग्राम के सरपंच श्री दिनेश नागर, व ग्राम सचिव श्री सुरेश नागर तथा ग्राम रोजगार सहायक श्री पोपसिंह राठोर द्वारा 4 कपिलधारा हितग्राहियो को योजना के संबंध में सूक्ष्म जानकारी देते हुए कपिलधारा कूप प्रारम्भ किये गए। कपिलधारा हितग्राही श्री प्रवीण पिता प्रेमसिंह जाति पि.वर्ग. जॉब कार्ड नम्बर 290 को मनरेगा अन्तर्गत सीमान्त कृषक के रूप में चयन कर तकनीकि स्वीकृति राशि रू. 3.00 लाख में से मजदूरी पर राशि रू 1.28 लाख एवं सामग्री पर राशि रू. 1.70 कुल राशि रू. 2.97 लाख व्यय की गई जिसमें 816 मानव दिवस अर्जित करते हुए कूप पूर्ण किया गया ।

हितग्राही श्री प्रवीण पिता प्रेमसिंह की कपिलधारा के पूर्व आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी कृषि भूमि होते हुए सिंचाई के साधन उपलब्ध नही होने के कारण प्रवीण द्वारा मात्र वर्षा ऋतु की ही फसल ली जाती थी। उसको प्रतिवर्ष पूर्णतः वर्षा पर ही निर्भर होना पड़ता था। वर्तमान में कपिलधारा कूप होने से

हितग्राही श्री प्रवीण द्वारा सभी मौसम में फसले ली जा रही है। वर्तमान में मुख्य फसलो में सोयाबीन, गेंहू, एवं मौसमी हरी सब्जियॉ उगाई जा रही है, जिससे किसान श्री प्रवीण को नकदी के रूप में आमदनी हो रही है। कृषक प्रवीण आज अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर अन्य लोगो को मनरेगा में कपिलधारा एवं अन्य उपयोजनाओ का लाभ लेने हेतु प्रेरित कर रहा है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा समय–समय पर उक्त ग्राम पंचायत को विभिन्न योजनाओ से सभी हितग्राहियो को जोड़ने का सार्थक प्रयास किया है, जिसके फलस्वरूप आज उक्त ग्राम पंचायत के हितग्राहियो को समस्त योजनाओ का लाभ मिल रहा है। ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक श्री पोपसिंह राठौर द्वारा मनरेगा अन्तर्गत भूमिहीन एवं भूमिधारी के जॉबकार्ड धारियो से मांग प्राप्त कर समय–समय पर मजदूरो की आवश्यकता अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा अन्तर्गत हितग्राही मूलक एवं सामुदायिक कार्यो में विशेष योगदान रहा है।

चंद्रेश कुमार लाड
संकाय सदस्य

सफलता की कहानी – जब हो हौसला बुलंद

यह कहानी ग्राम पंचायत भूतेड़ा जनपद पंचायत जावरा जिला पंचायत रतलाम की आंगनवाड़ी की है जो कि अब वर्तमान में बाल शिक्षा केन्द्र भूतेड़ा के रूप में कार्य कर रही है। इसमें कार्यकर्ता के हौंसले की कहानी है। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती महानन्दा शर्मा की मेहनत से आज ग्राम में किसी भी किशोरी बालिका में खून की कमी नहीं है। अधिकतम किशोरी बालिकाओं को जिनमें खून की कमी पाई जाती थी समय–समय पर पोषण आहार एवं फोलिक एसिड, हरी सब्जियाँ देकर सभी किशोरी बालिकाओं का रक्त परीक्षण कर मॉनीटरिंग किया गया। फलस्वरूप उनके पोषण स्तर में सुधार होने लगा एवं कार्यकर्ता की इस मेहनत और लगन के कारण जिला कलेक्टर एवं महिला बाल विकास मंत्री माननीय श्रीमती इमरती देवी द्वारा आँगनवाड़ी कार्यकर्ता को वर्ष 2019 में सम्मानित किया गया। इस केन्द्र में सारी सुविधाएँ उपलब्ध है जो कि एक प्ले स्कूल में होना चाहिए। सभी के सराहनीय योगदान जिसमें विशेष रूप से महिला बाल विकास विभाग, ग्राम पंचायत, ग्रामवासियों की मदद से यह केन्द्र अपनी अनूठी पहचान मध्यप्रदेश में बना चुका है।

ग्राम पंचायत के इस आँगनवाड़ी केन्द्र का चयन बालशिक्षा केन्द्र के रूप में किया है जो कि महिला एवं बाल विकास परियोजना जावरा ग्रामीण के लिये अत्यन्त ही हर्ष का विषय होने के साथ बड़ी उपलब्धि भी है। इसी के साथ इस केन्द्र को आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। इस केन्द्र की विशेषताओं के अंतर्गत मध्यान्ह भोजन को लेकर बहुत ही स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। भोजन वितरण करने के पूर्व बच्चों के हाथ साबुन से धुलाये जाते है भोजन निर्माण के बाद आँगनवाड़ी सहायिका द्वारा बच्चों को दस्ताने पहनकर भोजन परोसा जाता है।

इस केन्द्र के खुले परिसर में पोषक वाटिका बना रखी है जिसमें गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति समय–समय पर जागरूक कर उनके स्वास्थ्य की सतत मॉनीटरिंग की जाती है।

''कौन कहता है कि आसमाँ में सुराख नहीं हो सकता
जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारों''

उक्त उक्ति को चरितार्थ किया है आँगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती महानन्दा शर्मा द्वारा।

घनश्याम सिंह लोहिया,
संकाय सदस्य

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित ''मास्टर रिसोर्स परसन (एमआरपी) ओरिएन्टेशन एवं असेसमेंट प्रोग्राम''

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) हैदराबाद द्वारा आयोजित मास्टर रिसोर्स परसन के लिए सर्टीफिकेशन प्रोग्राम का संचालक महोदय, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान आधारताल जबलपुर द्वारा शुभारम्भ किया गया। दिनांक 11.02.2020 को सर्वप्रथम संचालक महोदय का स्वागत संस्थान के प्राचार्य/उपयुक्त(विकास) श्री बी. एस.मण्डलोई एवं प्रतिभगियों द्वारा किया गया ।

प्रथम दिवस आयोजन के अवसर पर प्राचार्य महोदय, द्वारा स्वागत भाषण एवं मास्टर रिसोर्स परसन के लिए दिनांक 11.02.2020 से 14.02.2020 तक आयोजित सर्टीफिकेशन प्रोग्राम पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में उपस्थित संचालक महोदय, डॉ. संजय कुमार सराफ द्वारा मास्टर रिसोर्स परसन सर्टीफिकेशन प्रोगाम के महत्व एवं चयन प्रक्रिया पर विस्तार से बताया गया। मास्टर रिसोर्स परसन के चयन के पश्चात जनपद पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण में उपयोगिता को एक अच्छा निर्णय बताया गया रिसोर्स परसन द्वारा दिये गये प्रशिक्षण से जनप्रतिनिधियों को कार्य करने में सुविधा होगी तथा शासन को अच्छे प्रशिक्षक प्राप्त होगें। प्रशिक्षकों को भी अपनी दक्षता दिखाने का अवसर प्राप्त होगा । मध्यप्रदेश में प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक पूल निर्माण किये जाने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। इसे आपके द्वारा आगे बढाया जावेगा इस अवसर पर संचालक महोदय, जी द्वारा एनआईआरडी एण्ड पीआर हैदराबाद को धन्यवाद दिया गया।

कार्यक्रम में एनआईआरडी एण्ड पीआर हैदराबाद से मास्टर रिसोर्स परसन प्रोग्राम के समन्वयक डॉ. डमारूधर गर्डे, जबलपुर से डॉ. संजय राजपूत (संकाय सदस्य) एवं संस्थान के संकाय सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री रामशंकर शर्मा क्षेत्रीय सहायक द्वारा किया गया कार्यक्रम समापन के अवसर पर संचालक महोदय डॉ. संजय कुमार सराफ एवं उपस्थित अतिथियों का आभार श्री चन्द्रपाल सिंह चौहान, संकाय सदस्य द्वारा व्यक्त किया गया ।

चंद्रपाल सिंह चौहान,
संकाय सदस्य

NATIONAL COLLOQUIUM OF
State Secretaries of RD & PR and Heads of SIRDPRs

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, हैदरबाद में दिनांक 14 एव 15 को NATIONAL COLLOQUIUM OF State Secretaries of RD & PR and Heads of SIRDPRs के 02 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत वर्ष के कुल 27 राज्यों की राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थाएं एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधिगण, एन.आई.सी के प्रतिनिधिगण, अन्य स्त्रोत्गण मिलाकर कुल 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यशाला के प्रथम दिवस में डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, हैदरबाद, श्री सुनील कुमार आई.ए.एस. सचिव पंचायतराज भारत सरकार श्रीमती राधिका रस्तोगी उपनिदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, हैदरबाद, श्री आलोक प्रेम नागर संयुक्त सचिव पंचायतराज भारत सरकार की उपस्थिति में कार्यशाला का शुभांरभ हुआ डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी निदेशक एन.आई.आर.डी. पी.आर. द्वारा स्वागत् अभिभाषण में सभी राज्य ग्रामीण विकास एवं

पंचायतराज संस्थानों की प्रगति उनके द्वारा संचालित किए प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं रिसर्च कार्यक्रम एवं भावी रणनीति के विषय में चर्चा कर आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। इनके द्वारा ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के अधिक आयोजन ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायतों में सदस्यों की प्रतिभागिता एवं ग्राम सभाओं के प्रचार प्रसार हेतु विशेष प्रयास करने हेतु आवश्यकता के महत्व पर जोर दिया गया इसके साथ –साथ संस्थानों के संकाय सदस्यों के क्षमतावर्धन हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित करने हेतु इच्छा व्यक्त की।

राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, अधारताल, जबलपुर म.प्र. का प्रतिनिधित्व संचालक, डॉ. सजय कुमार सराफ द्वारा किया गया। प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र में श्री सुनील कुमार आई.ए.एस. सचिव पंचायतराज भारत सरकार द्वारा कार्यशाला के आयोजन के संबध में राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थानों एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, हैदरबाद, द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सभी राज्यों की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कार्यक्रमों को तैयार करने में जोर दिया जिससे की स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके एवं पंचायतें स्वनिर्भर होकर अपने विकास कार्यक्रम को तैयार कर सकें।

कार्यशाला के द्वितीय दिवस में डॉ. प्रत्यूषना पटनायक असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा सभी राज्यों से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, हैदरबाद, द्वारा निर्मित मॉड्ल प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थानों द्वारा पंचायतराज संस्थानों के जनप्रतिनिधियों की मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तैयारी पर चर्चा की गई। इसके पश्चात् द्वितीय सत्र में श्री राजेश भूषण आई.ए.एस. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सभी प्रतिभागियों से ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रमों जैसे – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना, जल शक्ति अभियान, जल जीवन मिशन 2024 आदि विषयों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई।

कार्यशाला के अंतिम सत्र में सभी राज्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतिकरण दिए गए। इसके पश्चात् डॉ. डब्ल्यू आर रेड्डी निदेशक एन.आई.आर. डी.पी.आर. एवं कार्यक्रम समन्यवयक डॉ. किरण जेलम द्वारा सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद एवं शुभकामनाएं देकर कार्यशाला का समापन किया।

सुरेन्द्र प्रजापति,
संकाय सदस्य